F.No. NCBC/06/12/429/2020-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित बैठक दिनांक 21.12.2020 के कार्यवृत

अनुसंधान अनुभाग

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी ने दिल्ली विश्वविद्यालय व सम्बंधित महाविद्यालयो से प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण एवं अन्य शिकायतों के निवारण के सम्बन्ध में आयोग के सदस्यों के साथ दौरा कर दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियो एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियो के साथ दिनांक 21.12.2020 को बैठक की। बैठक में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है। बैठक में उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU), दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) एवं गैर-शिक्षण संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई एवं उन्होंने अपनी शिकायतों/ समस्यायों से आयोग को अवगत कराया ।

1. दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रावास में आरक्षण का प्रावधान है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग को वर्ष 1993 से आरक्षण लागू होने के पश्चात् भी छात्रावास में आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
2. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोई जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं होती है
3. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पिछले वर्ष की बकाया छात्रवृत्ति भी प्रदान नहीं की गई है अतः छात्रों द्वारा बकाया छात्रवृत्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
4. दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु कोई निर्धारित प्रारूप विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से छात्रों को प्रवेश के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं प्रत्येक 6 महीने में छात्रों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु कहा जाता है जबकि ऐसी कोई नियमावली दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है।
5. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करते समय अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS के फीस में काफी अंतर होता है जबकि दोनों का प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए भारत सरकार की नियमावली के अनुसार आय का मानदंड एक सामान है।
6. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मेरिट के अनुसार सामान्य वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जाता है उन्हें केवल अन्य पिछड़ा वर्ग में ही प्रवेश दिया जाता है।
7. अथिति शिक्षकों ने अपनी समस्या से अवगत कराया कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है जब भी वे अथिति अथवा ad-hoc पद हेतु साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप अनारक्षित श्रेणी में साक्षात्कार देने हेतु क्यूँ उपस्थित हुए है।
8. अथिति शिक्षको की भर्ती के दौरान रोस्टर एवं आरक्षण के नियमो का पालन नहीं किया जाता है

9. Ad-hoc पदों पर 10-12 वर्षो से कार्यरत कर्मचरियों को स्थायी नहीं किया जा रहा है जबकि उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग की शिकायतों के निवारण हेतु अलग से शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं छात्र शिकायत निवारण केंद्र (grievance cell) का गठन किया जाना चाहिए।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग का संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि DoPT, UGC, MHRD इत्यादि के नियमो की जानकारी रखता हो एवं उसकी tranning भी करवायी जानी चाहिए।
12. दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्य की नियुक्ति में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए।
13. दिल्ली विश्वविद्यालय में Academic Council एवं Exceutive Council में अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।
14. अपॉइंटमेंट में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है अतः जल्दी ही लागू किया जाना चाहिए।
15. अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र सम्बन्धी नियमो का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
16. आयोग को समय समय पर विश्वविद्यालय में दौरा कर यह जानकारी लेनी चाहिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है या नहीं।

समस्त पक्षों पर ध्यान पूर्वक चर्चा होने के पश्चात माननीय अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि भारत के संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की समस्याओं का अतिशीघ्र निवारण किया जाये एवं निम्न लिखित जानकारियाँ आयोग को निश्चित समयाविधि के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. **माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**: प्राचार्य, भारती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 24 घंटो के भीतर शपथ पत्र लिखकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा बनाया गया रोस्टर नियमानुसार है एवं उसमे कोई भी त्रुटि नहीं है।
2. **माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**: 1993 से लेकर अब तक शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं DoPT से आपको कितने आदेश/ परिपत्र/ नियमावली इत्यादि प्राप्त हुए है तथा क्या उन सभी आदेशों का पालन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है? उन सबको एक सप्ताह के भीतर आयोग को शपथ पत्र पर उपलब्ध करवाया जाए।
3. **माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**: दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अब तक कितनी बार रोस्टर को रिकास्ट किया गया है?, क्या NFS केवल अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को ही किया जाता हैं? एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने प्रोफेसर है? इन प्रश्नों का जवाब आयोग को एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पर भेजा जाए।

4. **माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**: रानी लक्ष्मीबाई महाविधायल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल कितना ग्रांट आया व कितना कहाँ कहाँ पर उपयोग हुआ हैं उसकी जांच कर मुख्य संपर्क अधिकारी शपथ पत्र पर लिखकर दें और कॉलेज के सभी रोस्टरों का निरीक्षण कर उसकी जांच रिपोर्ट शपथ पत्र पर कुलसचिव जी द्वारा सत्यापित करवा कर 7 कार्य दिवस के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें तथा श्री राकेश कुमार के प्रकरण की जांच करके जांच रिपोर्ट 7 कार्यवाही दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें तथा शिक्षा मंत्रालय, DoPT व UGC द्वारा जो नियमावली जारी की गयी हैं उन सभी का पालन रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया है या नहीं किया गया हैं इसकी जांच कर रिपोर्ट शपथ पत्र पर आयोग को उपलब्ध करायी जाए।
5. **माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**: शिक्षा मंत्रालय, DoPT व UGC के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को पहला रोस्टर का फॉर्मेट कब भेजा गया था, वह फॉर्मेट आयोग को उपलब्ध कराया जाए।
6. **माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**: वर्ष 1994, 1997, 2006, 2016, 2017 व 2019-20 का रिजर्वेशन रोस्टर (Teaching & Non-Teaching) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा DoPT की नियमावली के अनुसार बनाया गया है यह आयोग को शपथ पत्र पर लिख कर दिया जाए।
7. **माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल**: वर्ष 2007 से अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का कोटा पूरी तरह नहीं भरा गया है, इसकी जानकारी आयोग को शपथ पत्र पर दी जाए।
8. **माननीय सदस्य, डॉ. सुधा यादव**: अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कितनी छात्रवृत्ति (fellowship) दी जा रही है एवं किस आधार पर दी जा रही इसका विस्तृत विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
9. **सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** सचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वामी श्रद्धाननद कॉलेज के प्रधानाचार्य और कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देशित किया कि पहले के दिए गए विज्ञापन को रद्द कर दिया जाय तथा तीन दिन के अंदर रोस्टर ठीक कर उस पर पुनः विज्ञापन दिया जाय।

सुनवाई के पश्चात् आयोग की अपेक्षा:

सुनवाई के पश्चात् आयोग द्वारा निम्न लिखित अपेक्षाए की गई:

1. **माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी** ने अपेक्षा की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी नए व पुराने, स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रावासों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये एवं भारत सरकार के आरक्षण सम्बन्धी सभी नियमो का पालन किया जाये।
2. **माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी** ने अपेक्षा की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह से बढ़ाकर 01 वर्ष किया जाना चाहिए।
3. **माननीय सदस्य, डॉ. सुधा यादव** ने अपेक्षा की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 05 वर्षो या उससे अधिक वर्षो से कार्यरत फैकल्टी है उन्हें अब्सोर्ब किया जाना चाहिए।

4. **माननीय सदस्य, डॉ. सुधा यादव** ने अपेक्षा की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावास में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये।

5. **माननीय सदस्य, श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल** ने अपेक्षा की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर नियमानुसार बनवाया जा रहा हैं, शपथ पत्र पर दिया जाये।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(डॉ सुधा यादव)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(श्री आचार्सी तल्लोजू)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष,राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

F.No. NCBC/06/12/429/2020-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित बैठक दिनांक 21.12.2020 के कार्यवृत
अनुसंधान अनुभाग

अनुलग्नक 'क'

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. डॉ सुधा यादव, माननीय सदस्य
3. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
4. श्री आचारी तल्लोजू, माननीय सदस्य
5. श्री आनन्द कुमार, सचिव
6. श्री बी. के पति, उप सचिव
7. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
8. श्री अभिमन्यु, अनुसंधान अधिकारी
9. श्री सुशील, अनुसंधान अधिकारी

दिल्ली विश्वविद्यालय :-

1. कुलपति
2. कुलसचिव
3. संयुक्त कुलसचिव
4. निदेशक (SDO)
5. अन्य उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:

1. डॉ. जे के त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
2. डॉ. जी. एस. चौहान, संयुक्त सचिव